

APPENDIX I

संख्या-2322/15-7-06-16(64)/2006

-2-

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लघुनकः दिनांक: २५ जून, 2006

विषय :- कर्नल्स ब्राइटलैण्ड पक्षिक स्कूल लकावली आगरा को सी०वी०एस०ड० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

गहोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान जाकर्द करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सी०वी०एस०ड० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवेद्यों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की एंजीकूट सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेषणीय वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ००३०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेटल बोर्ड आफ सेकेंड्री एज्यूकेशन नईदिल्ली/कौसित आफ डि इपिडेन स्कूल सर्टीफिकेट इकायनिशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिषद् द्वारा परिषद् से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ००३०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूते नहीं दिये जायेंगे।

—2—

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रतिवेद्यों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेद्यों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

प्र०स०-2322(1)/15-7-2006 तद॑दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4- निरीक्षक, आनंद भारतीय विद्यालय उ००३०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, कर्नल्स ब्राइटलैण्ड पक्षिक स्कूल लकावली आगरा।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

Self Attested.

DEEPIKA TYAGI

DIRECTOR

Colonel's Brightland Public School
Lakawli, Agra

R.B.T.
PRINCIPAL
COLONEL'S BRIGHTLAND PUBLIC SCHOOL
LAKAWLI, AGRA